

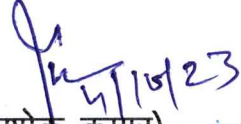
प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत हरदा-बैतूल सेक्शन NH-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण हेतु वन मण्डल पश्चिम बैतूल की 6.362 हेक्टेयर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) वन मण्डल की 4.772 हेक्टेयर एवं हरदा वनमण्डल की 0.061 हेक्टेयर कुल 11.195 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 11.399 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक:

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)